161

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 2934/दो/2015 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 31-7-15 पारित द्वारा तहसीलदार मनगवॉ जिला रीवा - प्रकरण कमांक 5 अ-5/2009-10

1- श्रीमती कमला देवी पत्नि लक्ष्मण प्रसाद तिवारी
2- ओमप्रकाश पुत्र बेदमणि तिवारी
दोनों ग्राम डेल्ही तहसील मनगवां जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- हीरामणि 2- मोहनलाल 3- जयप्रकाश
तीनों पुत्रगण सूरजप्रसाद तिवारी
4- गोविन्दप्रसाद पुत्र संकटाप्रसाद तिवारी
चारों ग्राम डेल्ही तहसील मनगवां जिला रीवा
5- मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री अरबिन्द पाण्डेय)
(अनावेदक क-1 के अभिभाषक श्री त्रिगुण सेन तिवारी)
(अनावेदक क-4 सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 26 -07-2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार मनगवॉ जिला रीवा के प्रकरण कमांक 5 अ-5/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 31-7-15 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार मनगवॉ द्वारा वाद विचारित भूमि के नक्शा तरमीम वावत् दिया गया आदेश दिनांक 9–7–2010 कलेक्टर रीवा ने प्रकरण क्रमांक 27 अ–5/10–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17–7–12 से निरस्त करके प्रकरण पक्षकारों की सुनवाई हेतु एंव पुनः आदेश पारित करने के लिये प्रत्यावर्तित किया है जिसके पालन में तहसीलदार मनगवॉ पक्षकारों को सुनकर प्रकरण क्रमांक 5 अ–5/2009–10 में आदेश दिनॉक 31–7–15 पारित किया तथा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत नक्शा तरमीम के आदेश दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है

3/ आवेदक के अभिभाषक श्री अरबिन्द पाण्डेय एंव अनावेदक क्रमांक 1,2,3 के अभिभाषक श्री त्रिगुण सेन तथा पक्षकार गोविन्द तिवारी के तर्क सुने गये हैं। अनावेदक 4 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के क्रम में प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार मनगवॉ द्वारा वादविचारित भूमि के नक्शा तरमीम वावत् दिया गया आदेश दिनांक 9–7–2010 कलेक्टर रीवा ने प्रकरण क्रमांक 27 अ–5/10–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17–7–12 से निरस्त करके प्रकरण पक्षकारों की सुनवाई हेतु एंव पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है जिसके पालन में तहसीलदार मनगवॉ ने हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर प्रकरण क्रमांक

5 अ-5/2009-10 में पारित आदेश दिनॉक 31-7-15 से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत आदेश पारित करके नक्शा तरमीम के आदेश दिये हैं । तहसीलदार व्दारा व्दारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत पारित आदेश अपील योग्य है जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष होगी। अतः तहसीलदार के आदेश दिनांक 31-7-15 के विरूद्व राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी द्वित्तीय पक्षकारों के हितानुकूल न होने से अमान्य की जाती है। आवेदकगण इस आदेश की प्रति के साथ सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अमान्य होने से निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर